17/10/25 पत्रावली वास्ते रिपोर्ट पेश हुई। वकील वादी उपस्थित
पार वादिया स्वीकार किया जाता है। विवेचन रिपोर्ट
अलग से लिखाया जाकर शामिल पत्रावल किया
जावे। ऐसी वादी तो नंबर से कम हो
आदेश सुनाया गया।

GCMS
2024/507

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai
Prakash Meena
Date: 2025.10.17 18:20:09 IST
Reason: SelfAttested

BR
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : भरत जय प्रकाश मीणा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 245/2024 GCMS-2024/507 **दायर दिनांक : 27.08.2024**

मु. द्रोपती पत्नी श्री गुरदेव सिंह पुत्री श्री मन्शाराम जाति जाट निवासी राजपुरा पिपेरन तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

.........वादीया

बनाम

1. मु. मोहरां पत्नी श्री मन्शाराम जाति जाट निवासी राजपुरा पिपेरन तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. पतली उर्फ गुडडी देवी पुत्री श्री मन्शाराम पत्नी श्री भागीरथ जाति जाट निवासी चक 4 पी.पी.एन. पिपेरन तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. देउ उर्फ देवी पुत्री श्री मन्शाराम पत्नी श्री औमप्रकाश जाति जाट निवासी चक 4 पी.पी.एन. पिपेरन तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
4. चावली उर्फ दोबड़ी पुत्री श्री मन्शाराम पत्नी श्री सोहनलाल जाति जाट निवासी चक 4 पी.पी.एन. पिपेरन तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
5. सलोचना उर्फ कातली पुत्री श्री मन्शाराम पत्नी श्री मनोहरलाल जाति जाट निवासी चक डबीलबास पेमा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
6. सावित्री पुत्री श्री मन्शाराम पत्नी श्री वेदप्रकाश जाति जाट निवासी वार्ड सं. 11 पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
7. मनीषा उर्फ भापली पुत्री श्री मन्शाराम पत्नी श्री सुरेन्द्र जाति जाट निवासी गॉव दुलमाणी वार्ड सं. 31 तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

........प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 209 आर.टी.ए. 1955

एवं धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः

1. श्री सर्वजीत छाबड़ा, अभिभाषक वादी सं. 1
2. पैरोकार राज नायब तहसीलदार, सूरतगढ़ प्रतिवादी

निर्णय **दिनांक : 17/10/2025**

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई, पक्षकारान के अभिभाषक उपस्थित पत्रावली का अवलोकन किया मुख्य तथ्य विचारण इस प्रकार से है कि वादीया द्वारा यह वाद पत्र घोषणात्मक अन्तर्गत धारा 88, 209 आर.टी.ए. एवं धारा 136 एल.आर.ए. में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मुझ वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 7 [illegible] से रोही राजपुरा पिपेरन के सयुंक्त खाता सं. 67 के ख.स. [illegible] में [illegible] है. बारानी, ख.स. 304 में 0.063 है. बारानी, ख.स. 305 में 0.038 [illegible] बारानी, ख.स. 306 में 1.682 है. बारानी, ख.स. 307 में 0.657 है. बारानी, ख.स. 308 में 0.797 है. बारानी, ख.स. 309 में 6.325 है. बारानी, ख.स. 310 में 0.101 है. बारानी, ख.स.

लगातार पेज 2 पर......

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.10.17 18:20:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

316 में 0.780 है. बारानी, ख.स. 317 में 0.089 है. बारानी, ख.स. 318 में 0.253 है. बारानी इस प्रकार कुल 10.929 है. बारानी भूमि संयुक्त खाता में दर्ज है जिसमें प्रतिवादी सं. 1 मोहरां देवी के नाम से 1.480 है. व शेष प्रतिवादी सं. 2 ता 7 व वादीया के नाम से 3.985 है. बारानी भूमि संयुक्त खाता में दर्ज है उक्त भूमि वर्णित खाते में वादीया के नाम 0.569 है. हिस्सा हेतू द्रोपती पुत्री मन्शाराम के स्थान पर दोबडी पुत्री मन्शाराम अंकित कर दिया गया है जो कि गलत है उक्त खाते में पतली, देवा, चावली, कातली, दोबडी, सावित्री, धापली पुत्रीयॉ मंशाराम 3.985 है. ब.हि.ब. खातेदारी भूमि दर्ज है जिसमें वादीया का 0.569 है. हिस्सा बनता है इस हिस्से हेतू वादीया का नाम दोबडी पुत्री मंशाराम के स्थान पर सही नाम द्रोपती पुत्री मंशाराम को खातेदार कृषक घोषित कर इसी अनुसार जमाबंदी में अंकन का अनुतोष चाहा।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारान को तलब किया गया प्रतिवादी सं 1 ता 7 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए इसलिए उनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही की गई प्रतिवादी सं 8 द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया इसलिए उनका जवाब बंद कर साक्ष्य वादी करवाये गये, वादीया की ओर से स्वयं के शपथ पत्र पर साक्ष्य लिये गये जो पत्रावली के संलग्न है बाद साक्ष्य तर्क सुने गये।

अभिभाषक वादीया द्वारा वाद पत्र के कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वाद ग्रस्त जमाबंदी राजपुरा पिपेरन तहसील सूरतगढ जमाबंदी सम्वत् 2070 ता 73 खाता सं 67 नया 35 पुराना जिसमें नाम की दुरूस्ती की घोषणा चाही जा रही है और वादीया का त्रुटिवश नाम दोबडी पुत्री मन्शाराम बतौर खातेदार दर्ज हुआ है के अतिरिक्त अन्य भूमि जो कि चक 4 पी.पी.एन. जमाबंदी सम्वत् 2073 ता 76 खाता सं 55/41 कुल भूमि 8.6530 है. में 1/8 हिस्सा द्रोपती पुत्री मन्शाराम अंकित है इसी प्रकार चक 4 पी.पी.एन जमांबंदी सम्वत् 2073 का 76 के खाता सं. 101/84 में 1.4800 है. के 1/8 हिस्सा में द्रोपती का नाम अंकित है किन्तु वादग्रस्त भूमि के खाते में वादीया का नाम द्रोपती के स्थान पर दोबडी अंकित कर दिया गया है जो कि त्रुटिवश अंकित हुआ है वादीया ने इसे अपने शपथ पत्र व सरपंच ग्राम पंचायत राजपुरा पिपेरन से भी सिद्ध किया है साथ ही आधार कार्ड, आयकर विभाग का कार्ड, मतदाता कार्ड, बैंक पास बुक, राशन कार्ड आदि बतौर साक्ष्य प्रस्तुत किये जिसमें वादीया का नाम द्रोपती अंकित है। प्रतिवादीगण ने कोई एतराज प्रस्तुत नहीं किया है राज्य हित घोषणा से कोई प्रभावित नहीं हो रहे वाद वादीया संदेह से परे बताते हुए वादी का वाद स्वीकार कर जमाबंदी राजपुरा पिपेरन सम्वत् 2070 ता 73 खाता नया 67 में अंकित ख.स. 301, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 316, 317, 318 में अंकित

लगातार पेज 3 पर.....

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.10.17 18:20:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

कुल खसरा 11 में अंकित 10.9290 है. खातेदारी भूमि हेतू पतली, देवा, चावली, कातली, दोबडी, सावित्री, धापली पुत्रीयॉ मन्शाराम ब.हि.ब. 3.985 है. भूमि हेतू दोबडी का नाम कलमजन कर उसके स्थान पर द्रोपती अंकित कर उक्त खाते में पतली, देवा, चावली, कातली, द्रोपती, सावित्री, धापली पुत्रीयॉ मन्शाराम ब.हि.ब. 3.985 है. के खातेदार दोबडी के स्थान पर द्रोपती को खातेदार घोषित करते हुए खाते में अंकित करने के आदेश व डिक्री वाद स्वीकार कर तहसीलदार सूरतगढ. को उपरोक्त अनुसार आदेशित कर राजस्व दस्तावेज वाद अंकित जमाबंदी में दोबडी के स्थान पर द्रोपती अंकित करने की प्रार्थना की गई।

राज्य पक्ष की ओर से तर्क दिया गया कि राज्य हित को सुरक्षित रखते हुए वाद में निर्णय किये जाने का निवेदन किया गया।

तर्क सुनने के पश्चात तर्को के परिपेक्ष्य में पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं पाया कि वादीया द्वारा ग्राम राजपुरा पिपेरन जमाबंदी सम्वत् 2070 ता 73 खाता सं 67 नया में अंकित ख.स. 301, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 316, 317, 318 में अंकित कुल खसरा 11 में अंकित 10.9290 है. खातेदारी भूमि में वादीया का नाम बतौर खातेदार 3.985 है में 1/7 हिस्सा अर्थात 0.569 है. हेतू दोबडी पुत्री मन्शाराम बतौर खातेदार अंकित है जबकि अन्य भूमि हेतू जो कि चक 4 पी.पी.एन. जमाबंदी सम्वत् 2073 ता 76 के खाता सं. 55/41 की 8.6530 है. हेतू इन्हीं पक्षकारों जिनमें वादीया भी शामिल है 1/8 हिस्से का खातेदार द्रोपती पुत्री मन्शाराम दर्ज है इसी प्रकार से चक 4 पी.पी.एन. के खाता सं. 101/84 सम्वत् 2073 ता 76 में अंकित 0.7340 है. हेतू भी 1/8 हिस्से की भूमि द्रोपती के नाम से अंकित है द्रोपती ने अपने शपथ पत्र, राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पास बुक से भी यह तथ्य दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध किया है कि उसका सही नाम द्रोपती है दोबडी जो वादग्रस्त भूमि हेतू बतौर खातेदार अंकित हुआ है मात्र उसी ग्राम राजपुरा पिपेरन जमाबंदी सम्वत् 2070 ता 73 खाता सं. 67 की भूमि जो ख.स. 301, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 316, 317, 318 में अंकित कुल खसरा 11 में अंकित 10.9290 है. खातेदारी भूमि में 3.985 है. भूमि हेतू वादीया का नाम अन्य बहिनों के साथ दोबडी 1/7 हिस्सा ब.हि.ब. अंकित हो गया जबकि उसका सही नाम द्रोपती है इसी अनुसार वादीया दोबडी का नाम कलमजन करवाकर द्रोपती अंकित कराने की हकदार है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार वाद वादीया स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि ग्राम राजपुरा पिपेरन जमाबंदी सम्वत् 2070 ता 73 के खाता सं. 67 नया की ख.स. 301, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 316, 317, 318 में अंकित 10.9290 है.

लगातार पेज 4 पर.....

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.10.17 18:20:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

खातेदारी भूमि में 3.985 है. में 1/7 हिस्सा ब.हि.ब. भूमि में वादीया द्रोपती पुत्री श्री मन्शाराम को खातेदार घोषित किया जाता है व पूर्व अंकित दोबडी नाम कलमजन कर द्रोपती को खातेदार कृषक अंकित करने के आदेश दिये जाते है। इसी घोषणा के अनुरूप रोही राजपुरा पिपेरन के जमाबंदी सम्वत् 2070 ता 73 के खाता सं 67 नया के ख.स. 301, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 316, 317, 318 में अंकित कुल खसरा 11 में अंकित 10.9290 है. खातेदारी भूमि जमाबंदी के खाना सं 4 में पूर्व अंकित पतली, देवा, चावली, कातली, दोबडी, सावित्री, धापली पुत्रीयॉ मन्शाराम ब.हि.ब. 3.985 है. में दोबडी का नाम कलमजन कर उक्त भूमि हेतू पूर्व अंकित जमाबंदी में पतली, देवा, चावली, कातली, द्रोपती, सावित्री, धापली पुत्रीयॉ मन्शाराम 3.985 है. ब.हि.ब. कौम जाट बाकी अंकन बदस्तूर रखते हुए जमाबंदी में दोबडी के स्थान पर द्रोपती नाम बतौर खातेदार अंकित करने के आदेश वाद स्वीकार कर तहसीलदार राजस्व सूरतगढ को दिये जाते है, इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

आदेश आज दिनांक 17.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया, पत्रावली बाद तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.10.17 18:20:09 IST
Reason: SelfAttested

(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दम इब्तदाई

अज अदालत – सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
बइजलास – भरत जय प्रकाश मीणा, आई.ए.एस.

अनवान :–

मु. द्रोपती पत्नी श्री गुरदेव सिंह पुत्री श्री मन्शाराम जाति जाट निवासी राजपुरा पिपेरन तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

.........**वादीया**

बनाम

1. मु. मोहरां पत्नी श्री मन्शाराम जाति जाट निवासी राजपुरा पिपेरन तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. पतली उर्फ गुडडी देवी पुत्री श्री मन्शाराम पत्नी श्री भागीरथ जाति जाट निवासी चक 4 पी.पी.एन. पिपेरन तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. देउ उर्फ देवी पुत्री श्री मन्शाराम पत्नी श्री औमप्रकाश जाति जाट निवासी चक 4 पी.पी.एन. पिपेरन तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
4. चावली उर्फ दोबड़ी पुत्री श्री मन्शाराम पत्नी श्री सोहनलाल जाति जाट निवासी चक 4 पी.पी.एन. पिपेरन तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
5. सलोचना उर्फ कातली पुत्री श्री मन्शाराम पत्नी श्री मनोहरलाल जाति जाट निवासी चक डबीलबास पेमा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
6. सावित्री पुत्री श्री मन्शाराम पत्नी श्री वेदप्रकाश जाति जाट निवासी वार्ड सं. 11 पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
7. मनीषा उर्फ भापली पुत्री श्री मन्शाराम पत्नी श्री सुरेन्द्र जाति जाट निवासी गॉव दुलमाणी वार्ड सं. 31 तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

........**प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88, 209 आर.टी.ए. 1955 व धारा 136 एल.आर.ए. 1956 मुकदमा न. 245 वर्ष 2024 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर वकील वादी श्री सर्वजीत छाबड़ा व पैरोकार राज नायब तहसीलदार, सूरतगढ़ के पेश होने पर हुक्म दिया जाता है।

वाद वादीया स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि ग्राम राजपुरा पिपेरन जमाबंदी सम्वत् 2070 ता 73 के खाता सं. 67 नया के ख.स. 301, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 316, 317, 318 में अंकित कुल खसरा 11 में अंकित 10.9290 है. खातेदारी भूमि में 3.985 है. में 1/7 हिस्सा ब.हि.ब. भूमि में वादीया द्रोपती पुत्री श्री मंशाराम को खातेदार घोषित किया जाता है व पूर्व अंकित दोबडी नाम कलमजन कर द्रोपती का [illegible] अंकित करने के आदेश दिये जाते है। इसी घोषणा के अनुरूप रोही [illegible] पुरा [illegible]न के जमाबंदी सम्वत् 2070 ता 73 के खाता सं 67 नया के ख.स. 301, 304, [illegible] 306, 307, 308, 309, 310, 316, 317, 318 में अंकित कुल ख[illegible] में अंकि[illegible] है। खातेदारी भूमि जमाबंदी के खाना सं 4 में पूर्व अंकित पतली, देवी, [illegible], कातली, दोबडी, सावित्री, धापली

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.10.17 18:20:09 IST
Reason: SelfAttested

लगातार पेज 2 पर.....

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

पुत्रीयॉ मन्शाराम ब.हि.ब. 3.985 है. में दोबडी का नाम कलमजन कर उक्त भूमि हेतू पूर्व अंकित जमाबंदी में पतली, देवा, चावली, कातली, द्रोपती, सावित्री, धापली पुत्रीयॉ मन्शाराम 3.985 है. ब.हि.ब. कौम जाट बाकी अंकन बदस्तूर रखते हुए जमाबंदी में दोबडी के स्थान पर द्रोपती नाम बतौर खातेदार अंकित करने के आदेश वाद स्वीकार कर तहसीलदार राजस्व सूरतगढ को दिये जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना – अपना वहन करेंगें।

नोज.....×..... मुबलिग .....×..... बाबत .....×..... खर्चा .....×..... इस मुकदमें में मय सूद बशरह .....×..... फसदों की पालना .....×..... आज की तारीख से तारीख वसूल्या वो तक की अदा करें।

बसिव्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 17.10..2025 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.10.17 18:20:09 IST
Reason: SelfAttested